उत्तरांचल शासन
शिक्षा अनुभाग –2
संख्या– 521/xxiv–2 / 2006
देहरादून दिनांक 15 नवम्बर, 2006

.....

कार्यालय–आदेश

तात्कालिक प्रभाव से शिक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित स्थान/पद के प्रति जनहित में स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाता है, जिसमें संख्या व दिनांक त्रुटिवश 2006 के स्थान पर 2005 टंकित हो गया :–

क0 सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4
1	श्री रजई सिंह यादव	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, (बेसिक) उधमसिंह नगर ।	अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उधमसिंह नगर ।
2	सुश्री मंजुला पाण्डे,	अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उधमसिंह नगर ।	अपर जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उधमसिंह नगर ।

2– उक्त कार्यालय आदेश 2005 के स्थान पर 2006 पढ़ा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या–521(1)/xxiv–2 / 2006 तददिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2–निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
3–निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी ।
4–शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून ।
5–संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल–नैनीताल, गढ़वाल मण्डल– पौड़ी।
6–जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
7–कोषाधिकारी,उधमसिंह नगर।
8–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरांचल द्वारा निदेशक विद्यालयी शिक्षा।
9–एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
10–संबंधित अधिकारी ।
11–गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

principal transfer-21

संख्या– 31 /VI-I/2006–2(9)2006

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
देहरादून।

खेल अनुभाग

देहरादून दिनांक 28 नवम्बर, 2006

विषयः–वित्तीय वर्ष 2006–07 के प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से आयोजनेत्तर पक्ष के प्रस्तावों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1825/अ0व्य0प0/2006–07, दिनांक 29 अगस्त, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान सख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में तैनात दैनिक वेतनभोगी एवं पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों की दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप रू0 600.00 हजार (रूपये छः लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(क)– लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–खेलकूद

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	02–मजदूरी	400	400
	09–विद्युत देय	200	200
	योग–	600	600

2–यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मिव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3–उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाए, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4–धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

संख्या– 311 /VI-I/2006–2(9)2006

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
देहरादून।

खेल अनुभाग

देहरादून दिनांक 28 नवम्बर, 2006

विषयः–वित्तीय वर्ष 2006–07 के प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से आयोजनेत्तर पक्ष के प्रस्तावों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1825/अ0व्य0प0/2006–07, दिनांक 29 अगस्त, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान सख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवाओं के अन्तर्गत प्रदेशीय कीड़ा संघों, क्लबों, एवं अन्य कीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिता के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्करण हेतु अनावर्तक अनुदान मद में रू0 1600.00 हजार (रूपये सोलह लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(क)–लेखाशीर्षक --2204–00–निदेशन तथा प्रशासन–03–खेल निदेशालय–104–खेलकूद

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	12–प्रदेशीय कीड़ा संघों एवं अन्य संघों आदि को प्रतियोगिता के आयोजन करने एवं खेल उपसकरण कय हेतु अनावर्तक अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	400	400
	21–अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	800	800
	22–प्रदेशीय कीड़ा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	400	400
	योग–	1600	1600

2–यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मिव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3–उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाए, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4–धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

सँख्या / 643 / XXIV–3 / 2006/2(34)/06

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल, देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 23 नवम्बर,2006

विषयः उत्तरांचल राज्य में सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, नियोजन विभाग के अर्द्धशा. प0सं01078 / नि0वि0 / 2006 दिनॉक 18–8–2006 एवं तत्संबंधी आपके पत्र संख्याः नियोजन–4 / 23116 / सी0क्षे0वि0प्रा0 / 2006–07 / दिनॉक 31–7–2006 एवं नियोजन अनुभाग के शासनादेश संख्याः 51(1)/XXVI- एक(8) / 2005 दिनॉक 8–3–2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल राज्य में सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित 11 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आवासीय भवन निर्माण कार्यों हेतु कालम –4 पर अनुमोदित लागत रू0 254.72 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कालम–5 पर अंकित विवरणानुसार रू0 250.00 लाख वर्ष 2004–05 में शिक्षा विभाग हेतु रू0 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय परिसर स्थित खाते में जमा धनराशि रू0 2.50 करोड़ में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(धनराशि लाख में)

जनपद का नाम	विद्यालयों का नाम	निर्माण संस्था का नाम	अनुमोदित लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
चम्पावत	1. रा0उ0मा0वि0 मंडलक, लोहाघाट	जनरल मैनेजर कस्ट्रक्शन विंग उ0 पेयजल निगम देहरादून	14.69	14.69

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 760/वित्त-3/06 दिनॉक 27.10.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
सचिव

सॅख्या: 643 (1)/ XXIV-3/2006 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उत्तरांचल, देहरादून।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल- नैनीताल / गढ़वाल मण्डल-पौड़ी।
6- अपर सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन।
7- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल- नैनीताल/ गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय ।
9- जिलाधिकारी, चम्पावत, पिथौरागढ, उत्तरकाशी, चमोली
10- जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत, पिथौरागढ, उत्तरकाशी, चमोली
11- वित्त विभाग /नियोजन प्रकोष्ठ।
12- कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
13- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल, देहरादून।
14- संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
15 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

संख्या– 958 /XIX/2006–83/2006

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 27 नवम्बर, 2006

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में 1000 मी0टन क्षमता के खाद्यान्न गोदाम एवं आवासीय भवन के निमार्ण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमांयू सम्भाग हल्द्वानी के पत्र संख्या–587/गोदाम निमार्ण/2006–07, दिनांक 19 जून, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ के गंगोलीहाट में 1000 मी0टन क्षमता के खाद्यान्न गोदाम एवं आवासीय भवन निमार्ण हेतु परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संस्थान, विकास एवं निमार्ण निगम चम्पावत द्वारा तैयार रूपये 97.50 लाख के आंगणन को टी0ए0सी0 द्वारा परिक्षणोपरान्त रू. 87.25 लाख (रूपये सत्तासी लाख पच्चीस हजार मात्र) की औचित्यपूर्ण धनराशि अनुमन्य की गयी है। वर्ष 2006–07 के लिये उक्त योजना का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पिथौरागढ़ से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2006–07 के लिए गंगोलीहाट में गोदाम एवं आवासीय भवन निमार्ण हेतु धनराशि **रू0 87.25 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. उक्त धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था उत्तरांचल ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पिथौरागढ़ को इस शर्त के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि वह माह मार्च, 2007 तक उक्त खाद्यान्न गोदाम का निमार्ण पूर्ण कराकर आयुक्त, खाद्य को हस्तान्तरित कराये जाने का प्रमाण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत धनराशि का अवशेष 10 प्रतिशत वित्तीय, भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही अवमुक्त की जायेगी।
2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधिक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाये।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत फार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्दवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

.................2/–

संख्याः 1282/XIX/06-57/2006

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 27 नवम्बर, 2006

विषयः जनपद पौडी गढवाल में विभागीय किरायेदारी में लिये गये आन्तरिक गोदाम उफरैंखाल के किराये में वृद्वि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्याः 857/30-2 (लेखा) गोदाम-उफरैखाल/2006-07, दिनॉकः 11.10.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय खाद्यान्न गोदाम उफरैखाल के वर्तमान में स्थित भवन स्वामी, श्री अमर सिंह रावत, ग्राम-कफलगॉव, पट्टी चौथान पौ0-उफरैंखाल, तहसील-थलीसैण जनपद पौडी गढवाल जिसका अनुमन्य कारपेट एरिया 1568 वर्ग फीट जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिये गये औचित्य प्रमाण पत्र के आधार पर उनके द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 2.50 पैसे प्रतिवर्ग फुट की दर से सर्किल रेट के अनुसार धनराशि रू0 3000.00 (रू0 तीन हजार मात्र) प्रतिमाह के अनुसार दिनांक-01 अप्रैल, 2006 से वृद्धि किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। भवन स्वामी को किराया भुगतान करते समय उक्त अवधि में किराये के रूप में भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन अवश्य कर लिया जाये।

2. प्रश्नगत प्रकरण हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि उसी प्रयोजन पर व्यय की जायेगी। जिसके निमित वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है और इसका उपयोग किसी अन्य मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

3. इस धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यदि कोई धनराशि किराये के रूप में पहले भुगतान की जा चुकी हो तो उसे अब भुगतान की जाने वाली धनराशि में अवश्य समायोजित कर लिया जायेगा।

4. भवन स्वामी से भवन किराया वृद्धि की तिथि से आगामी 05 वर्ष की अवधि अथवा विभाग की अपने भवन की व्यवस्था हो जाने तक, जो भी पहले हो के अनुसार यह अनुबन्ध कर लिया जाये, जिसमें यह व्यवस्था रहेगी कि बढ़ी हुई दर की तिथि से पॉच वर्ष तक किराए में वृद्वि नहीं की जायेगी।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण-आयोजनेत्तर-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)-00-17 किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा तथा आवंटित धनराशि से वहन किया जायेगा।

......2......

कम्प्यू0 जोशी O-2

संख्या–GI-75/XXIV(1)/2006.14/2006

प्रेषक,

नम्रता कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल,
मयूर विहार देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून दिनांक: 27 नवम्बर 2006

विषयः– केन्द्र पुरोनिधानित योजना "भाषा अध्यापकों की नियुक्ति" हेतु 263 उर्दू अध्यापकों / शिक्षा मित्रों के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–बेसिक–1/29802/मद.आधु./2006–07 दिनांक 31.8.2006 एवं भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के शासनादेश संख्या–F.7-6/2005-D II (L) दिनांक 7.3.2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय 263 उर्दू अध्यापकों/शिक्षा मित्रों के पद, रू0 4000/– (रूपये चार हजार प्रतिमाह) के मानदेय के आधार पर, सृजित किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– इन 263 उर्दू शिक्षा मित्रों के पदों की चयन प्रकिया हेतु अलग से शीघ्र ही दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा अपने उक्त शासनादेश दिनांक 7.3.2006 द्वारा इस हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 31.56 लाख (रूपये इकतीस लाख छप्पन हजार मात्र) शासनादेश संख्या–627/XXIV(1)/2006.14/2006 दिनांक 24.7.2006 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी है।

3– इस संबंध में होने वाला का व्यय चालू वित्तीय वर्ष अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनागत–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–22 उर्दू शिक्षा मित्रों हेतु मानदेय –20–सहायक अनुदान /अशंदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–867/वि0 अनु0–3/2006 दिनांक 21.11.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नम्रता कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– 1130 /VI/2006–5(31)2006

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक 24 नवम्बर, 2006

विषय: जिला योजना 2006–2007 के अधीन पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–998/VI/2006–2(12)2006, दिनांक 03 अक्टूबर, 2006 के कम में आपके पत्र सख्या–356/2–6–215/2006–07, दिनांक 01 नवम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना 2006–2007 के अधीन पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं के संलग्न 07 योजनाओं हेतु रू0 12.16 लाख के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 10.80 लाख (रूपये दस लाख अस्सी हजार मात्र) के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2006–07 में इतनी ही धनराशि को आपके निवर्तन में रखी गई धनराशि रू0 650.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3–आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4–कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6–एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त योजनायें जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हों और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत ही हों।

8–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

9–कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना के भविष्य में अनुरक्षण की वचनबद्धता लिखित रूप में सम्बन्धित नगर पंचायत से लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। भविष्य में उक्त योजनाओं के अनुरक्षण हेतु कोई बजट नहीं दिया जायेगा।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

11–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

12–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

13–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

14–जिन कार्यों पर द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी है, उनमें व अन्य योजनाओं में भी प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही दूसरी किस्त भवमुक्त की जायेगी।

–स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जनपद स्तर पर ग नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो एवं जनपद को आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हो।

शासनादेश संख्या– 1130 /VI/2006–5(31)2006, दिनांक 24 नवम्बर, 2006 का संलग्नक

क्र. सं.	योजना का नाम	आगणन की लागत	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि/स्वीकृत की जा रही धनराशि
	जनपद–टिहरी		
1	भाटगांव भिलगंना में जगदम्बा/चन्द्रीनाग देवता मंदिर का सौ0	2.10	1.70
2	विकासखण्ड कीर्तिनगर में ग्राम सभा न्यूली में प्राचीन शिव मंदिर का सौन्दीकरण	1.00	0.90
3	विकासखण्ड कीर्तिनगर स्थान कडाकोट में डुण्डेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पेयजल व्यवस्था	2.05	1.79
4	ग्राम पंचायत गुरयाली पालकोट में भुवनेश्वरी मंदिर का सौ0	2.00	1.94
5	ग्राम दरवान गांव विकासखण्ड भिलंगना में नागदेवता मंदिर का सौ0	1.35	1.13
6	विकासखण्ड नरेन्द्रनगर हेवलघाटी पर झील का निर्माण	2.15	1.84
7	हिण्डोलाखाल कुंजापुरी मंदिर मार्ग में गेट का निर्माण	1.51	1.50
	योग–	**12.16**	**10.80**

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या– /VI-I/2006–62(सं0)2002 /अनुदान

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून :दिनांकः 17 नवम्बर, 2006

विषयः– उत्तराखण्ड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद् देहरादून द्वारा श्रीनगर में दिनांक 30 नवम्बर, 2006 से 06 दिसम्बर, 2006 मे मध्य राज्य स्तरीय नाट्य समारोह/कार्यशाला के आयोजन अग्रिम आहरण की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1540/सं0नि0उ0/दो–3(2)/2006–07, दिनांक 14 नवम्बर, 2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–409/VI-I/2006–62(सं0)/2002 दिनांक 07अगस्त, 2006 एवं शासनादेश संख्या–461/VI-I /2006–62(सं0)/2002 दिनांक 19 सितम्बर, 2006 द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में उत्तराखण्ड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद् हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि कमशः रूपये 33,40,500.00(रूपये तैंतीस चालीस हजार पांच सौ मात्र) एवं रू0 16,59,500.00 (रूपये सोलह लाख उनसठ हजार पांच सौ मात्र) में से रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त धनराशि में से रूपये 5.00 लाख कोषागार से अग्रिम के रूप में आहरण करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के आधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने से पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3–उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4–धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 31–03–2007 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी मद अथवा बीजक का दोहरा भुगतान न हो।

5–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–00–06–साहित्य एवं कला परिषद् की स्थापना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

संख्या– 250 /XXII/2006–8(सू0)/2004

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
उत्तरांचल, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादूनः दिनांक : 28 नवम्बर, 2006

विषय :– मीडिया सेन्टर एवं जिला सूचना कार्यालय, ऊधमसिंहनगर के भवन निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1411/सू0एवं लो0स0वि0(क्षे0प्र0)–113/2001 दिनांक 05 अगस्त, 2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मीडिया सेन्टर एवं जिला सूचना कार्यालय, ऊधमसिंहनगर के भवन निर्माण हेतु टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त संस्तुत धनराशि रूपये 48.40 लाख (रूपये अड़तालिस लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एवं उक्त निर्माण कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि रूपये 8.00 लाख (रूपये आठ लाख मात्र) की धनराशि को घटाते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में रूपये 40.40 लाख (रूपये चालीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा हो। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों मे निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

3–आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधानित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधानित स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

5–कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्यक करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्कतानुसार निदेशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

6–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन योजनाओं हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृति न हुई हो। इस हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।